न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :05/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/18)

वादी बनाम	प्रतिवादी
1. जलन्धर सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:— 08.01.2025

उपस्थितः 1.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह सरां अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय— **दिनांक : 20.06.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 11 एफ ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 65/64 के मुरब्बा नम्बर 4 की कुल 1.181 हैक्टेयर भूमि वादी के पिता पूर्ण सिंह पुत्र ज्ञान सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी के पिता पूर्ण सिंह की मृत्यू हो चुकी है। उक्त नहरी भूमि की पानी पर्ची भी वादी के पिता पूर्ण सिंह के नाम बंधती चली आ रही है। सम्वत 1934 ता 1938 की जमाबन्दी में उक्त चक 11 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 13, 14, 16 ता 18 की भूमि नहरी दर्ज है तथा सिंचाई विभाग अधिशाषी जल संसाधन उतरखण्ड श्रीगंगानगर की तस्दीक क्रमांक 3442 दिनांक 28.07.2014 में भी चक 11 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 4 की 21 बीघा भूमि नहरी है तथा 4 बीघा भूमि बारानी है। जो 4 बीघा भूमि बारानी है वह किला नम्बर 9 ता 12 की भूमि है। शेष 21 बीघा भूमि नहरी है और इसी अनुसार वादी को उनकी भूमि में पानी मिल रहा है। राजस्व ग्राम 11 एफ ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 65/64 के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 13 सालम, किला नम्बर 14/1 की 0.169 हैक्टेयर, किला नम्बर 16, 17, 18 प्रत्येक सालम—सालम की कुल 1.181 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बारानी दर्ज है। जबकि नहरी विभाग के रिकॉर्ड में उक्त रकबा नहरी है। जिसे दुरूस्त कर नहरी दर्ज किया जाना न्याय संगत है। आज से करीब 10 रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादी से उक्त संशोधन करने के लिए कहा तो प्रतिवादी तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा श्रीमान् जी के न्यायालय में चाराजोही करने को कहा। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 11 एफ ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 65/64 के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 13 सालम, किला नम्बर 14/1 की 0.169 हैक्टेयर, किला नम्बर 16, 17, 18 प्रत्येक सालम—सालम की कुल 1.181 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 596 दिनांक 06.06.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक राजस्व ग्राम 11 एफ ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 65/64 के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 13 सालम, किला नम्बर 14/1 की 0.169 हैक्टेयर, किला नम्बर 16, 17, 18 प्रत्येक सालम—सालम की कुल 1.181 हैक्टेयर बारानी भूमि जलन्धर सिंह, सिकन्दर सिंह, हरदीप कौर जातियान जटसिख निवासीगण 6 एफ ए रडेवाला के नाम ब.हि.ब. खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी वर्ष 1934 के खाता संख्या 9 के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1 ता 8 प्रत्येक सालम—सालम नहरी, किला नम्बर 9 ता 12 प्रत्येक सालम—सालम बारानी, किला नम्बर 13 ता 25 प्रत्येक सालम—सालम नहरी दर्ज है

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

एंव जमाबन्दी वर्ष 1990 के खाता संख्या 9 में मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1 ता 8 प्रत्येक सालम–सालम नहरी, किला नम्बर 9 ता 12 प्रत्येक सालम–सालम बारानी, किला नम्बर 13 ता 25 प्रत्येक सालम–सालम नहरी दर्ज है। चक 11 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2016 ता 2019 के खाता संख्या 25/42 के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1 ता 8, 13 ता 17, 19, 20 कुल 15 बीघा नहरी जवाहर सिंह पुत्र भान सिंह आदि के नाम दर्ज है, खाता संख्या 25/43 के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 9 ता 12 कुल 4 बीघा बारानी भूमि सूबा सिंह पुत्र जुगेन्दर सिंह के नाम दर्ज है, खाता संख्या 25/44 मे मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 18, 21 ता 25 कुल 6 बीघा नहरी भूमि बलतेज सिंह के नाम दर्ज है। अतः उक्त राजस्व अभिलेख अनुसार चक 11 एफ ए की जमाबन्दी संवत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 65 के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 23 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 14/1 की 0.169 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 ता 18 प्रत्येक सालम–सालम, कुल 1.181 हैक्टेयर भूमि बारानी भूमि के स्थान पर नहरी है। राजस्थान उपनिवेशन नियम 1956 के नियम 7(क) के अनुसार आवंटित रकबा बारानी से नहर द्वारा सिंचित होने पर देय अन्तरराशि राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के पंत्राक प. 7(7)उप/ 2005 जयपुर दिनांक 25.08.2007 अनुसार देय अन्तरराशि वसूली से शेष नहीं है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 11 एफ ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 65/64 की प्रति, पानी की पर्ची की छायाप्रति, जल संसाधन उत्तरखण्ड श्रीगंगानगर के पत्रांक 3442 दिनांक 28.07.2014 की छायाप्रति, चक 11 एफ ए की जमाबन्दी 1934 की छायाप्रति, चक 11 एफ ए की जमाबन्दी 1990 की छायाप्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 11 एफ ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 65/64 के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 13 सालम, किला नम्बर 14/1 की 0.169 हैक्टेयर, किला नम्बर 16, 17, 18 प्रत्येक सालम–सालम की कुल 1.181 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। जल संसाधन उत्तरखण्ड श्रीगंगानगर के पत्रांक 3442 दिनांक 28.07.2014 की सीसीए तस्दीक मुताबिक मुरब्बा नम्बर 4 में 21 बीघा रकबा कमाण्ड व 7 बीघा रकबा अनकमाण्ड है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 11 एफ ए की जमाबन्दी संवत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 65 के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 23 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 14/1 की 0.169 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 ता 18 प्रत्येक सालम–सालम, कुल 1.181 हैक्टेयर भूमि बारानी भूमि के स्थान पर नहरी है। राजस्थान उपनिवेशन नियम 1956 के नियम 7(क) के अनुसार आवंटित रकबा बारानी से नहर द्वारा सिंचित होने पर देय अन्तरराशि राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के पंत्राक प. 7(7)उप/ 2005 जयपुर दिनांक 25.08.2007 अनुसार देय अन्तरराशि वसूली से शेष नहीं है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेशः–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136– भू–राजस्व अधिनियम–1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 11 एफ ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू. अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 65/64 के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 13 सालम, किला नम्बर 14/1 की 0.169 हैक्टेयर, किला नम्बर 16, 17, 18 प्रत्येक सालम–सालम की कुल 1.181 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

जलन्धर सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर **05/2025**
निर्णय दिनांक :- 20.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह सरां उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-भू-राजस्व अधिनिंयम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 11 एफ ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 65/64 के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 13 सालम, किला नम्बर 14/1 की 0.169 हैक्टेयर, किला नम्बर 16, 17, 18 प्रत्येक सालम-सालम की कुल 1.181 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।
आज दिनांक 20.06.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/2025/411 दिनांकः 20.06.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर